**महत्वपूर्ण**

**संख्या-6/2016/1099/31-2016-21/2015**

**प्रेषक,**

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

प्रमुख सचिव/सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

**कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,** **लखनऊः दिनांकः 06 मई, 2016**

**विषयः-** शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप के अन्तर्गत योजना सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

कृपया शासनादेश संख्या-06/2015-1386/31-2015-21/2015 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु 03 सदस्यीय प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेशों के साथ संलग्नक परियोजनाओं के अतिरिक्त आपके विभाग की निम्न परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप में सम्मिलित किया गया हैः-

| क्र.स. | परियोजना का नाम | नोडल विभाग |
|---|---|---|
| 1. | लखनऊ से बलिया तक (वाया आजमगढ़) प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना का क्रियान्वयन। | अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपरोक्त परियोजना की मासिक सघन समीक्षा की जाएगी तथा अद्यतन प्रगति से प्रत्येक माह मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। कृपया सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग परियोजनाओं का गहन अनुश्रवण करते हुए प्रत्येक माह की 07 तारीख तक परियोजनाओं की मासिक तथा क्रमिक प्रगति से सदस्य/सहसंयोजक को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

**(आलोक रंजन)**
मुख्य सचिव।

**संख्या-6/2016/1099(1)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- श्री पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

**(अरूण कुमार सिन्हा)**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-6/2016/1099(2)/31-2016-21/2015-तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपशा, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(अरूण कुमार सिन्हा)**
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in